राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

कमांक प0 13(15)सा0प्र0 / 3 / 1983 पार्ट   जयपुर, दिनांक: 1 DEC 2013

–: परिपत्र :–

राज्य कर्मचारियों के लिये राजस्थान सिविल सर्विस पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 लागू करने के कारण पुरानी वेतन श्रृखला 1 से 11 तक की वेतन श्रृखलाओं को अब नई वेतन श्रृखला पे बैण्ड – 1एस से पी0बी0 2 के अन्तर्गत आने वाली ग्रेड पे संख्या 01 से 12 (ग्रेड पे ₹ 1300 से 3600) मे परिवर्तित किया गया है । अतः नई वेतन श्रृखला के परिपेक्ष्य मे इस विभाग द्वारा पूर्व मे जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.09.1993,13.10.1998 तथा16.3.2001 के कम मे निम्नानुसार दिशा निर्देश प्रभावी होगें :–

1– संभागीय आयुक्त स्तर पर गठित समावेशन समिति द्वारा पुरानी वेतन श्रृखला 1 से 11 तक के स्थान पर, अब नई ग्रेड पे संख्या 01 से 12(ग्रेड पे ₹ 1300से 3600)तक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्व समावेशन हेतु अधिशेष वर्कचार्ज्ड कर्मचारी उपलब्ध कराने तथा उपयुक्त अधिशेष वर्कचार्ज्ड कर्मचारी उपलब्ध नही होने की स्थिति मे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी कराया जायेगा ।

सभी संभागीय आयुक्तगण रिक्त पदों को भरने से पूर्व उक्त दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रुप से सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था करावे ।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिवगण ।
2– समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान ।
3– समस्त विभागाध्यक्षगण, राजस्थान ।
4– समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
5– रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव